क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in / www.esic.in

प्रेस वज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आ श्रत हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक- 27-08-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक , सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स बुद्धा मोटर्स प्रा0 ल0, के अंतर्गत पंजीकृत बी मत व्यक्ति श्री संजय कुमार यादव जो पटना सटी में गाडी. धोने **(Washer)** के पद पर कार्यरत थे, उनकी आ श्रता पत्नी - आशा देवी, पुत्र - श्री ललन कुमार, एवं पवन कुमार पुत्री - पूजा कुमारी को कर्मचारी राज्य बीमा अ धनियम, 1948 के अंतर्गत आ श्रत हितलाभ प्रदान कया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

स्व. संजय कुमार यादव की मृत्यु दिनांक 16-07-2024 को कार्य के दौरान रोजगार चोट के कारण हुई थी | वे परिवार में अकेले कमाने वाले थे व परिवार पूर्णतः आ र्थक रूप से उन पर निर्भर था| नियोजक द्वारा दुर्घटना रिपोर्ट भेजे जाने के पश्चात इसकी जाँच की गयी तथा ई०एस०आई०सी० द्वारा आ श्रतों के लए मा सक पेंशन स्वीकृत कया गया । पेंशन के रूप में 297 रु. प्रतिदिन की दर से लगभग प्रतिमाह (8910/-) आ श्रतों को मलेगा । दुर्घटना की ति थ से आज तक लगभग 106920 रुपये का बकाया भुगतान भी उनके खाते में अंतरित कया जा रहा है ।

उल्लेखनीय है क कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को कर्मचारी राज्य बीमा अ धनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बी मत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आ श्रत परिवारजनों को ई० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मा सक आ श्रत पेंशन दिया जाता है ।

क्षेत्रीय निदेशक